संविधान की कहानी

सन्तराम वत्स

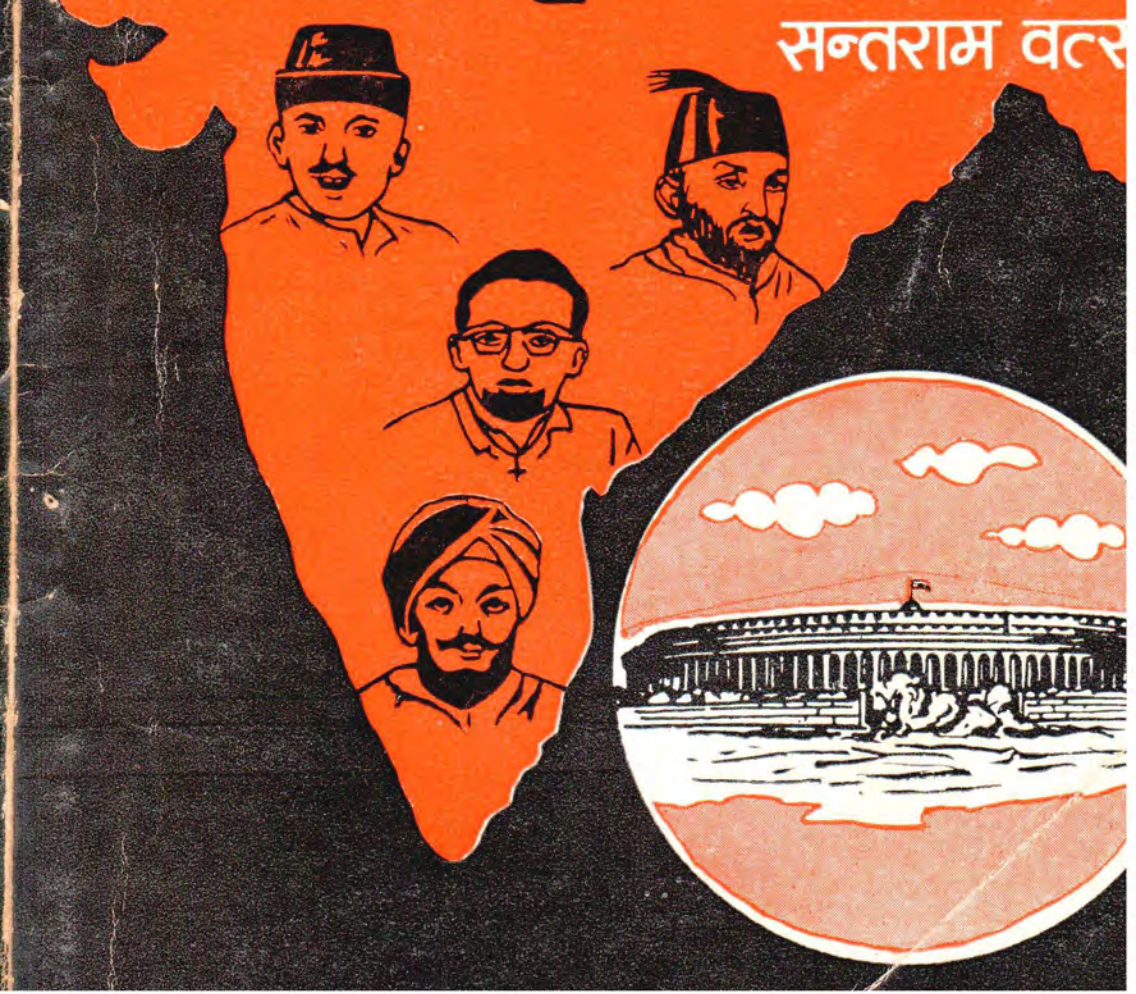

सन्तराम वत्स्य

संविधान की कहानी

प्रकाशक :

गोविन्दराम हासानन्द
४४०८, नयी सड़क, दिल्ली-११०००६

संस्करण : सितम्बर, १९८२

मुद्रक :

संजय प्रिण्टर्स,
मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-११००३२

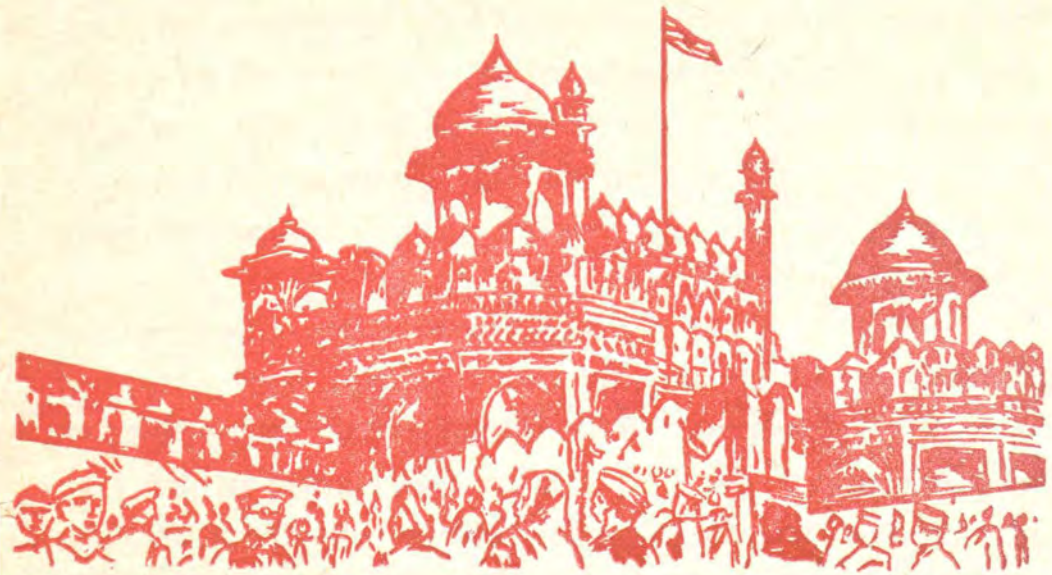

स्वतन्त्र भारत का संविधान

१५ अगस्त, १९४७ को हमारा देश भारत स्वतन्त्र हो गया। इससे पहले समुद्र-पार के ब्रिटेन देश के लोगों ने इस देश पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। हम परतन्त्र थे। विदेशी शासक, जो अंग्रेज़ कहलाते थे, वे ही हमारे लिए कानून बनाते थे। उन कानूनों का उद्देश्य होता था, हमारी दासता की जंजीरों को और भी पक्का करना। इस तरह विदेशी शासकों ने हम पर अपनी अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेज़ी सभ्यता तथा संस्कृति थोप रखी थी। भारत की धन-सम्पत्ति इंग्लैंड में पहुंच रही थी।

लम्बे संघर्ष के बाद १५ अगस्त, १९४७ का शुभ दिन आया था। अब हम स्वतन्त्र थे। अब हमें अपने लिए कानून स्वयं बनाने थे। अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करना था। भारत की भाषा, सभ्यता और संस्कृति की उन्नति करनी थी।

हमारा यह प्यारा देश भारत फले-फूले, आगे बढ़े और संसार में अपना यश-गौरव बढ़ाए, इसके लिए प्रयत्न करना था। इस देश के जन-जन को योग्य बनाकर ऊंचा उठाना था। इस देश की उन्नति के लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग देने के लिए तैयार करना था। सारे झूठे भेद-भावों को भुलाकर इस महान् देश को इस तरह संगठित करना था कि छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सभी एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जुट जाएं।

उथल-पुथल के उन दिनों में जबकि एक ओर तो अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी ओर भारत के दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे की तैयारियां हो रही थीं; ९ दिसम्बर, १९४६ को संविधान सभा की पहली बैठक प्रारम्भ हुई। १३ दिसम्बर, १९४६ को सभा के सामने उद्देश्य-प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में शीघ्र ही स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले भारत के संविधान की रूपरेखा आ गयी थी। यह उद्देश्य-प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने रखा था। यह एक तरह से भारतीय स्वतन्त्रता का 'घोषणा-पत्र' ही था। प्रस्ताव के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा था, 'देश की करोड़ों जनता को, जो हमारी ओर देख रही है तथा सारी दुनिया को यह आभास दे दें कि हम क्या करेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं।'

इस संविधान सभा में भारत के सभी भागों और समुदायों के विचारवान् लोग सम्मिलित थे। यह सभा समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। डा० राजेन्द्रप्रसाद इसके अध्यक्ष थे। श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभभाई पटेल तथा डॉ० भीमराव अम्बेडकर जैसे विद्वान् इसके सदस्य थे। श्री अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। बाद में संविधान सभा ने इस प्रारूप पर धारावार विचार किया और संशोधित करके इसे अंतिम रूप दिया गया।

२६ नवम्बर, १९४९ को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। यह २६ जनवरी, १९५० को लागू हुआ। इसीलिए हम प्रति वर्ष २६ जनवरी का दिन 'गणतन्त्र दिवस' के रूप में मनाते हैं।

संविधान की प्रस्तावना

हम भारत के लोग भारत को एक सपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक

और राजनीतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए;

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली;

बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर, १९४९ ईसवी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सम्वत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान की मुख्य बातें

हमारा संविधान संसारभर के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा है। संविधान बनाने वालों ने यही सोचकर इसे इतना बड़ा बनाया है कि बहुत-सी बातें स्पष्ट हो जाएं। फिर भी उन नयी समस्याओं को सुलझाने के लिए, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्द्धन करने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार ही अब तक लगभग छियालीस संशोधन संविधान में हो चुके हैं।

संविधान में निम्नलिखित मुख्य विषयों की विस्तार से चर्चा की गयी है:

१. नागरिकता,
२. मौलिक अधिकार,
३. राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्त,
४. शासन की रूपरेखा,
५. संसद और राज्य विधान-मण्डल,
६. संघीय न्यायपालिका तथा उच्च न्यायालय,
७. केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध,
८. सेवाएं तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषय।

संसारभर के देशों के संविधानों की अच्छी-अच्छी बातें इसमें सम्मिलित की गयी हैं। इसमें जहां अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए व्यवस्था की गयी है, वहां युद्धकाल जैसी विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी उचित व्यवस्था है।

जनता का शासन

भारत में प्राचीन काल में गणतन्त्र व्यवस्था रही है। लोग अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयत्न करें, इसके लिए ग्राम-स्तर पर पंचायत व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की शासन-पद्धति को स्वीकार किया है। इसके द्वारा इक्कीस वर्ष के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि वह बिना किसी भेदभाव के कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। इसमें धनी-निर्धन, स्त्री-पुरुष आदि का कोई भी भेद-भाव नहीं। संविधान की दृष्टि में मत देने की योग्यता रखने वाले सभी नागरिक समान हैं।

धर्म-निरपेक्ष राज्य

इसका अभिप्राय यह है कि कोई नागरिक चाहे जिस किसी धर्म को मानता हो, सरकार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी।

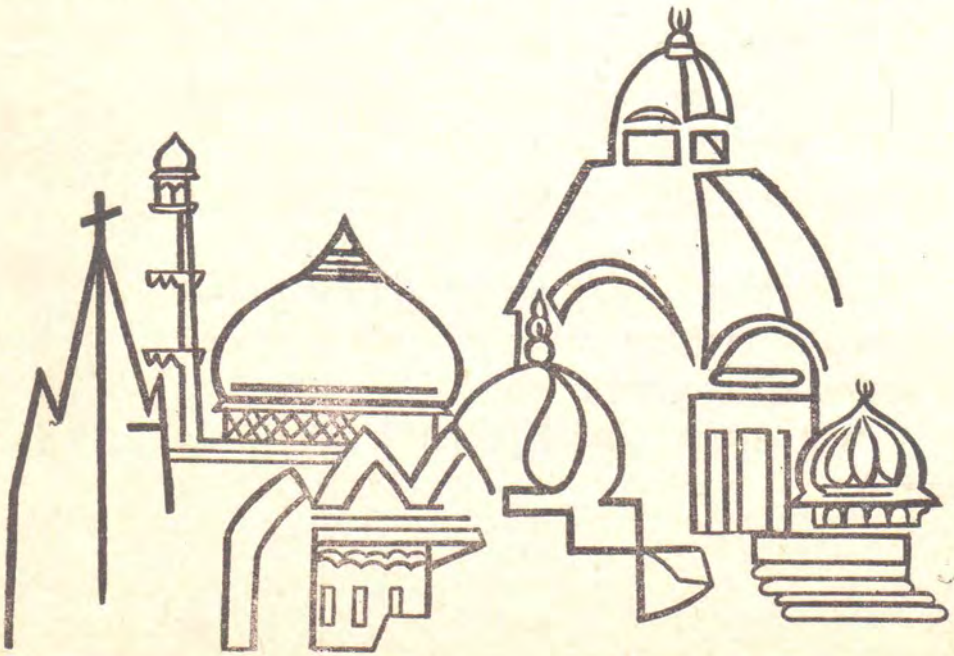

नागरिकता

हमारे देश का प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक है। किसी भी एक प्रदेश में रहने वाला नागरिक प्रदेश-विशेष का नागरिक न होकर भारत का नागरिक है। इस प्रकार की इकहरी नागरिकता भारत की विशेषता है और भारत की एकात्मकता का प्रमाण भी।

जो भी व्यक्ति नीचे लिखी शर्तों को पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक हो सकता है :

१. जिसका जन्म भारत में हुआ हो।
२. जिसके माता-पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो।
३. जो संविधान लागू होने से तुरन्त पहले कम-से-कम पांच वर्षों तक भारत का निवासी रह चुका हो।

यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेश में जा बसता है और वहां की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा।

संसद् नागरिकता-सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

नागरिकों के अधिकार

सरकार मनमाने ढंग से काम न करे, इसलिए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गये हैं। इन अधिकारों द्वारा नागरिक अपनी उन्नति कर सकता है। समाज की सेवा करने, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसलिए उनके पास कुछ अधिकारों का होना जरूरी है।

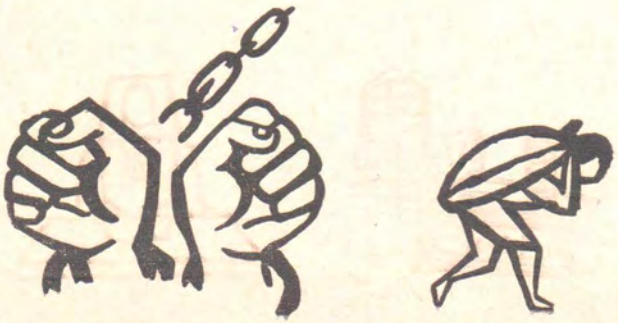

ये मौलिक अधिकार सात हैं :

१. समता का अधिकार

कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर हैं। धर्म, सम्प्रदाय, जाति, लिंग (स्त्री-पुरुष) के कारण कोई भेदभाव सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। इस अधिकार के कारण छुआछूत का भेद मिटा दिया गया है। किसी को भी मन्दिरों, होटलों, कुओं आदि पर जाने से रोका नहीं जा सकता।

२. स्वतन्त्रता का अधिकार

(क) इस अधिकार के द्वारा अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या जिस तरह नागरिक चाहे, प्रकट कर सकता है।

(ख) नागरिकों को अधिकार है कि वे शांतिपूर्वक, बिना हथियार लिये इकट्ठे हो सकते हैं। वे जुलूस निकाल सकते हैं, सभा कर सकते हैं।

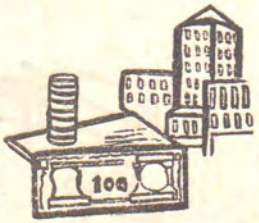

(ग) संस्थाएं या संगठन बना सकते हैं।

(घ) भारत में जहां चाहें आ-जा सकते हैं।

(ङ) भारतभर में जहां चाहें रहें या बस जाएं।

(च) धन कमाने, रखने, खर्च करने और किसी को दे देने की प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता है।

(छ) प्रत्येक नागरिक कोई भी पेशा अपना सकता है। वह व्यापारी, निर्माता, डॉक्टर, वकील या अध्यापक आदि जो भी बनना चाहे, बन सकता है।

३. शोषण के विरुद्ध अधिकार

कोई भी किसी से ज़बर्दस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। किसी की मज़बूरी का अनुचित लाभ उठाकर ऐसी जगह में, ऐसे समय में और ऐसी हालत में काम नहीं करवाया जा सकता, जिससे काम करने वाले के जीवन को ख़तरा हो या उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए। चौदह वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को नौकर नहीं रखा जा सकता। आदमियों को भेड़-बकरियों की तरह खरीदा-बेचा नहीं जा सकता।

४. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

नागरिक चाहे जिस धर्म को मान सकता है और अपने धर्म के अनुसार पूजा-पाठ कर सकता है। धार्मिक संस्था भी बना सकता है। धर्म का प्रचार भी कर सकता है। परन्तु किसी भी नागरिक का धर्म-परिवर्तन उसकी इच्छा के बिना नहीं किया जा सकता।

५. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक तरह के रीति-रिवाज़ हैं। अपनी भाषा, लिपि और रीति-रिवाज़ों की रक्षा के लिए नागरिक स्वतन्त्र

हैं। राज्य की ओर से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में सभी को प्रवेश पाने का समान अधिकार है।

६. सम्पत्ति का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को नकदी, सोना-चांदी, ज़मीन-मकान आदि सम्पत्ति रखने का अधिकार है। वह अपनी सम्पत्ति बेच सकता है और सम्पत्ति खरीद भी सकता है। चाहे तो किसी को दे भी सकता है।

७. अधिकारों की रक्षा

संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों का यदि सरकार या कोई और उल्लंघन करे तो नागरिक न्यायालय में जा सकता है।

(क) सरकार यदि किसी को कैद कर ले और वह न्यायालय से प्रार्थना करे कि मुझे गैर-क़ानूनी ढंग से सरकार ने कैद कर रखा है तो न्यायालय सरकार को आज्ञा दे सकता है कि कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दोनों ओर की बात सुनने के बाद न्यायालय समझे कि नागरिक को कैद करना अनुचित है, तो सरकार को कैदी को छोड़ने की आज्ञा दे सकता है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य का पालन न कर रही हो तो न्यायालय उसे कर्तव्यपालन की आज्ञा दे सकता है।

(ग) यदि कोई न्यायालय अपनी हद से बाहर जाकर काम कर रहा हो या कानून का पालन किए बिना काम कर रहा हो तो उससे बड़ा न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से कोई बड़ा ओहदा पा लेता है तो भी न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय देकर उसे नीचे के ओहदे पर भेज सकता है।

मूल अधिकारों पर रोक

शान्तिकाल में नागरिक अपने इन अधिकारों का उपयोग-उपभोग कर सकता है। परन्तु संकटकाल में या कुछ विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों पर सरकार रोक भी लगा सकती है। तब न्यायालय भी सरकार को नहीं रोक सकते।

इन मूल अधिकारों के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है। इनका उपयोग करते समय आपको दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। दूसरे धर्म या सम्प्रदाय की भावनाओं, राष्ट्र की शान्ति और सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब यह है कि हम दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखकर ही अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।

सरकारी नीति के निदेशक सिद्धान्त

संविधान बनाने वालों ने सरकार के लिए कुछ निदेशक सिद्धान्त बना दिये हैं। इनका उद्देश्य यह बताना है कि सरकार को भविष्य में कानून बनाते समय या शासन चलाते समय इन-इन बातों का ध्यान रखना है। सरकार इधर-उधर भटक न जाए, इसलिए जो-जो काम उसे करने चाहिए, वे बता दिये गये हैं। हम क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, इसका पता इनसे चलता है।

१. जीविका के पर्याप्त साधन—इसके द्वारा बेकारी दूर करने को सरकार को कहा गया है।

२. धन का न्यायपूर्वक बंटवारा—इसके द्वारा अमीर और गरीब के भेद को कम करने को कहा गया है।

३. समान कार्य के लिए समान वेतन।

४. बाल श्रमिकों तथा ढलती उम्र के श्रमिकों की सुरक्षा।

५. रोज़गार।

६. चौदह वर्ष की उम्र तक के बालक-बालिकाओं को बिना शुल्क लिये

अनिवार्य शिक्षा ।

७. बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी, असमर्थता तथा अन्य प्रकार की असमर्थता की हालत में सरकारी सहायता ।

८. इतनी मज़दूरी जिससे गुज़ारा हो सके ।

९. काम की ऐसी शर्तें, जिनके अनुसार ठीक तरह से गुज़ारा हो सके, छुट्टियां मिल सकें तथा मानसिक विकास का अवसर भी मिल सके ।

१०. अच्छा पौष्टिक भोजन मिल सके तथा डॉक्टरी सहायता भी, जिससे स्वास्थ्य में सुधार हो ।

अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा तथा रोज़गार की विशेष व्यवस्था करने पर भी ज़ोर दिया गया है ।

इनके अतिरिक्त कुछ और काम भी हैं, जिनको पूरा करने के लिए कहा गया है । ये हैं :

१. ग्राम-पंचायतों का संगठन ।

२. सभी नागरिकों के लिए एक-जैसे क़ानून-कायदे ।

३. नशाबन्दी ।

४. खेती तथा पशुओं की उन्नति के लिए संगठित प्रयास ।

५. दुधारू तथा दूध न देने वाले पशुओं के वध को रोकना।

६. पुराने महलों, मन्दिरों, मस्जिदों तथा इतिहास के महत्त्वपूर्ण स्थानों तथा वस्तुओं की रक्षा करना ।

७. न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग रखना ।

ऊपर लिखी बातों में से कुछ काम तो काफी तेज़ी से हुए हैं तथा कुछ करने का प्रयत्न हो रहा है।

८. विश्व में शान्ति तथा सुरक्षा को बढ़ावा मिले। सभी देश एक-दूसरे का सम्मान करें; अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, समझौतों और सन्धियों का पालन करें। फिर भी कभी कोई झगड़ा खड़ा हो जाए तो उसे लड़-झगड़कर नहीं, अपितु पंच-फैसले द्वारा निपटाने का प्रयत्न करें ।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिल सके, उसके लिए सरकार को प्रयत्न करना होगा ।

भारतीय संघ

भारत देश में अनेक प्रदेश हैं। प्रदेशों में राज्य सरकारें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिनका शासन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकारों के काम बंटे हुए हैं। भारतीय संविधान में उन कामों को तीन सूचियों में बांट दिया गया है—१. संघीय सूची, २. राज्य सूची, और ३. समवर्ती सूची। तीसरी सूची में ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें केन्द्र की सरकार तथा राज्य की सरकारें—दोनों कर सकती हैं। किन्तु यदि दोनों सरकारों में किसी तरह का मतभेद हो तो केन्द्रीय सरकार की बात ही सर्वोपरि होगी। यदि किसी काम के बारे में स्पष्ट उल्लेख न हो कि केन्द्रीय सरकार करेगी या प्रदेश की सरकार, तो वह काम केन्द्र का माना जाएगा।

भारत राज्यों का संघ होते हुए भी अपने-आप में एक अखंड इकाई है। भारत का कोई प्रदेश या क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता। देश का प्रदेशों में जो बंटवारा किया गया है, वह तो प्रशासन की सुविधा के लिए है। इसकी सम्पूर्ण जनता एक जनता है और वह एक ही शासन के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार समूचे भारत पर है। इस देश में इकहरी नागरिकता है।

केन्द्रीय सरकार और प्रादेशिक सरकारों के अतिरिक्त स्थानीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था भी है। स्थानीय स्वायत्त शासन ग्रामों में पंचायत और जिला परिषद् के रूप में और नगरों तथा महानगरों में नगरपालिका और नगर निगम के रूप में काम करता है। स्थानीय समस्याओं; जैसे सफाई, नालियां, पानी, प्रकाश आदि का हल ये संस्थाएं करती हैं।

संकटकाल—बाहरी हमले और भीतरी उपद्रव—में प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। संकटकाल में प्रदेश सरकारों के सम्पूर्ण अधिकारों को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले सकती है।

प्रशासनिक ढांचा

भारतीय संघ के प्रशासनिक ढांचे को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है :

१. कार्यपालिका,

२. विधायिका,

३. न्यायपालिका।

कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित मंत्रि-मण्डल आता है।

विधायिका में संसद् के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा की गिनती होती है।

न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय आते हैं।

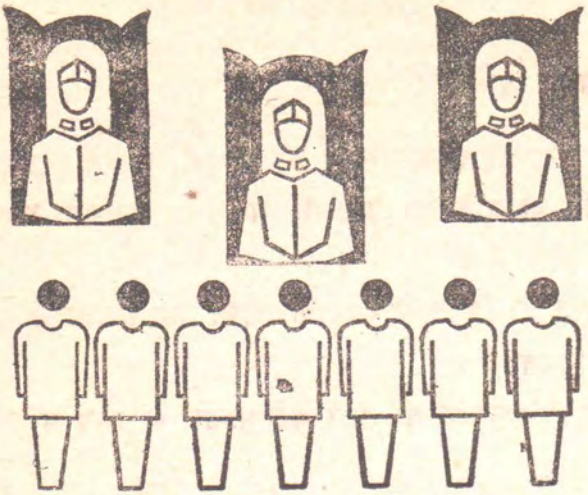

कार्यपालिका

राष्ट्रपति

भारतीय शासन में सबसे ऊंचे पद को राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव संसद्—लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यह अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है।

योग्यता—राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने वाले को :

(क) भारत का नागरिक होना ज़रूरी है।

(ख) उसकी उम्र पैंतीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए।

(घ) वह व्यक्ति किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जहां उसे सरकारी वेतन मिलता हो।

राष्ट्रपति के अधिकार

कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार

भारतीय संघ की कार्यपालिका की सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति ही प्रतिरक्षा सेनाओं—थलसेना, जलसेना और नभसेना—का सर्वोच्च सेनापति होता है।

राष्ट्रपति चाहे तो किसी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, रोक सकता है और रद्द भी कर सकता है।

राष्ट्रपति ही प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

राज्यपाल, राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश केन्द्रीय लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य, भारत के महान्यायवादी; भारत के लेखा-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही वित्त-आयोग तथा अन्य ऐसे आयोगों की नियुक्ति करता है।

विदेशों के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जब आते हैं तो राष्ट्रपति उनका स्वागत करता है। विदेशी राजदूतों के परिचय-पत्र भी राष्ट्रपति ही देखता है।

राष्ट्रपति संसद्—लोकसभा और राज्यसभा—द्वारा पारित कानूनों को लागू करता है।

विधायिका-सम्बन्धी अधिकार

राष्ट्रपति ही संसद्—लोकसभा और राज्यसभा—का सत्र बुलाता है और उसे स्थगित भी करता है।

वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद् के सत्र का उद्घाटन करता है और संसद् के सम्मुख अभिभाषण करता है।

राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा की बैठक बुला सकता है अथवा स्थगित कर सकता है। वह दोनों सदनों की इकट्ठी बैठक भी बुला सकता है।

कई राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित विधेयकों पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

संसद् का अधिवेशन न होने के दिनों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश की अवधि केवल छह मास होती है।

राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त बारह व्यक्तियों को मनोनीत करता है। दो आंग्ल भारतीय सदस्य लोक-सभा में मनोनीत करता है, यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व न मिले।

वित्त-सम्बन्धी अधिकार

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद् किसी को कोई धन नहीं दे सकती। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद् में वित्त-विधेयक या वित्त-सम्बन्धी धाराओं से युक्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जा सकते।

न्यायपालिका-सम्बन्धी अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।

राष्ट्रपति किसी को दिए गये दण्ड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है या रद्द कर सकता है। वह प्राणदण्ड को भी रोक सकता है।

संकटकालीन अधिकार

बाहरी आक्रमण या भीतरी उपद्रव की स्थिति में राष्ट्रपति 'संकटकालीन स्थिति' की घोषणा कर सकता है।

यदि राष्ट्रपति समझे कि किसी राज्य का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चल सकता तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

इसी तरह भारत अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिति बिगड़ जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है।

संकटकाल में राष्ट्रपति नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में, न्यायालय में अपील करने के अधिकार को स्थगित कर सकता है।

राष्ट्रपति को रहने के लिए सरकारी निवासस्थान मिलता है। इसे 'राष्ट्रपति-भवन' कहते हैं। राष्ट्रपति को प्रति मास दस हजार रुपये वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं।

राष्ट्रपति अपने अधिकारों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। उसपर न तो फौजदारी मुक़दमा चलाया जा सकता है और न अपने पद पर रहते उसे गिरफ्तार ही किया जा सकता है।

यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर 'महाभियोग' लगाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन—लोकसभा या राज्यसभा—में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसका दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना ज़रूरी है। 'महाभियोग' का प्रस्ताव विधिवत् पारित होने पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति के त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर उप-राष्ट्रपति इस पद को संभालता है। छह मास के भीतर नये राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। यदि उप-राष्ट्रपति का पद भी किसी कारण खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से लोकसभा और राज्यसभा के

सदस्य करते हैं ।

उपराष्ट्रपति भी पांच वर्षों के लिए चुना जाता है । उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं चाहिए :

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) कम-से-कम पैंतीस वर्ष आयु हो ।

(ग) उसमें राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए ।

अधिकार

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ।

जब राष्ट्रपति अस्वस्थ हो, स्वदेश से बाहर हो, अपने पद से किसी भी कारण हट जाए, तो उपराष्ट्रपति छह मास तक या जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता, राष्ट्रपति का पद संभाले रहेगा ।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमण्डल

सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त करता है ।

वास्तव में प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है ।

प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल के मंत्रियों के नाम की सूची राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए देता है और राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर लेता है ।

कौन-से विभाग का मंत्री किसे बनाया जाए, यह निश्चय प्रधानमंत्री ही करता है । काम के इस बंटवारे का अनुमोदन भी राष्ट्रपति करता है ।

प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का नेता होता है और वह अपने साथियों की सलाह से कार्य करता है ।

मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता रहता है । इस तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रि मण्डल तथा संसद् के बीच

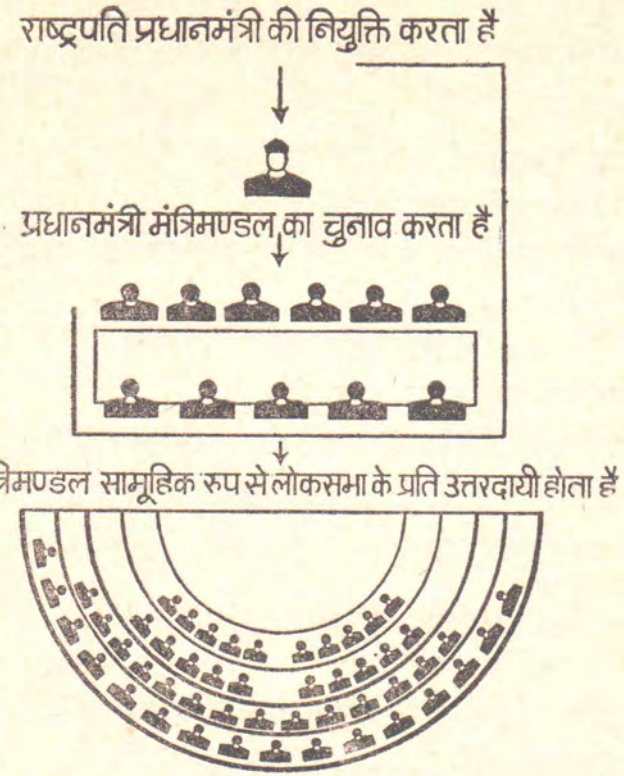

सम्बन्ध-सूत्र का काम करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जानकारी और स्वीकृति के लिए, उसके पास भेजता है।

बजट आदि महत्त्वपूर्ण मामले लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने से पहले मंत्रिमण्डल के सामने रखे जाते हैं।

सामान्यतया मंत्रियों का चुनाव संसद् के सदस्यों में से ही किया जाता है। यदि मंत्री का पद ग्रहण करते समय कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य न हो तो उसे छह मास के संसद् में किये गये निर्णयों को भी

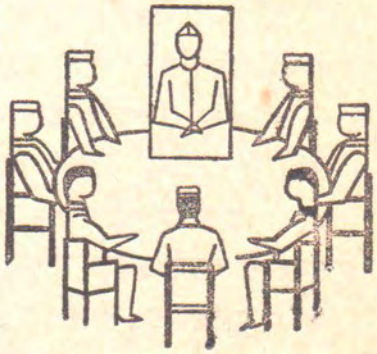

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमण्डल

भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना चाहिए, नहीं तो वह मंत्री नहीं रह सकता।

लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने से सारे मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना होगा।

इसी प्रकार यदि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कटौती स्वीकार हो जाए तो सरकार गिर जाती है।

प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्य जब तक राष्ट्रपति उनके कार्यों से प्रसन्न हों, तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

मंत्रिमण्डल अपने कार्यों के लिए लोकसभा के सामने उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमण्डल तथा लोकसभा को भंग कर सकता है।

सभी महत्त्वपूर्ण कामों के बारे में पहले मंत्रिमण्डल में विचार करके निर्णय किया जाता है। बाद में लोकसभा में प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है।

प्रधानमंत्री यदि किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट न हो, तो उस मंत्री से त्यागपत्र देने को कह सकता है। यह त्यागपत्र स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। मंत्रिमण्डल में फेर-बदल करने का प्रधानमंत्री को पूरा-पूरा अधिकार है।

महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है।

मंत्रिमण्डल की बैठकें जल्दी-जल्दी होती रहती हैं। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों में ताल-मेल बिठाना, मंत्रियों के आपस के मतभेद को दूर करना, सरकारी नीति निर्धारित करना—ये कार्य पहले मंत्रिमण्डल में होते हैं।

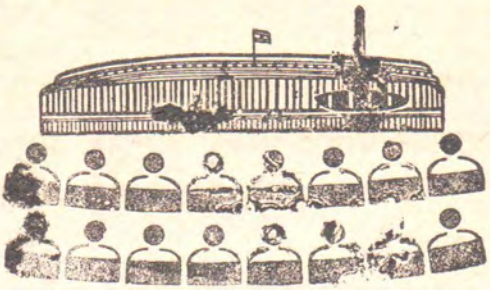

विधायिका

संसद्

लोकसभा और राज्यसभा का सम्मिलित नाम संसद् है ।

लोकसभा

लोकसभा के ५२५ सदस्य होते हैं । ये पांच वर्ष के लिए चुने जाते हैं ।

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष-विधि से होता है । प्रत्येक मत-दाता अपना मत दे सकता है ।

लोकसभा की कुल सदस्य संख्या ५२५ है । इसमें पांच सौ प्रदेशों से और पचीस केन्द्र-शासित क्षेत्रों से होंगे ।

लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था है । यदि राष्ट्रपति देखें कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे दो व्यक्तियों को सदस्य मनोनीत कर कसते हैं ।

संकटकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । किन्तु संकटकाल की समाप्ति के बाद छः मास से अधिक नहीं

बढ़ाया जा सकता । प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है ।

लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान इस प्रकार बांटे गए हैं कि स्थानों की संख्या और राज्य की जन-संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक-सा रहे।

राष्ट्रपति जब चाहे और जहां चाहे संसद् के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। किन्तु प्रथम अधिवेशन की अन्तिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच का समय छह मास से अधिक नहीं होना चाहिए ।

संसद् के अधिवेशन के लिए कम-से-कम दस प्रतिशत सदस्यों की उप-स्थिति आवश्यक है । संसद् में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होता है ।

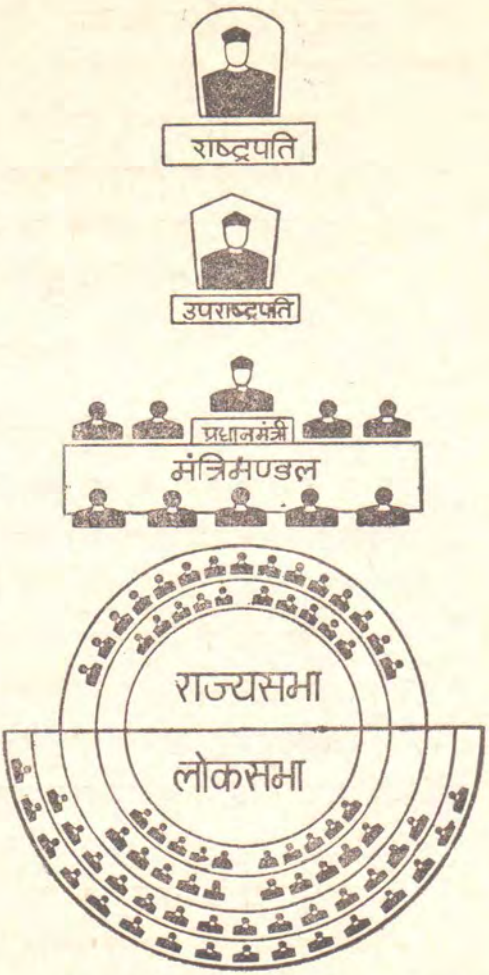

लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता 'लोकसभा अध्यक्ष' करता है। अध्यक्ष को सहयोग देने के लिए एक उपाध्यक्ष भी होता है। छह अन्य सदस्यों को भी सभापति पद पर नियुक्त किया जाता है । ये लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं ।

लोकसभा के समय का उपयोग किस प्रकार किया जाए, इसका निश्चय अध्यक्ष करता है । इस काम में वह लोकसभा के नेता से भी सलाह लेता है । लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है । लोकसभा में

किसी विषय पर मतदान का काम भी अध्यक्ष कराता है। अध्यक्ष सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षक होता है।

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं :

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उसकी उम्र पचीस वर्ष से कम न हो।

(ग) उसमें वे सब योग्यताएं भी होनी चाहिए, जिन्हें संसद् निश्चित करे।

राज्यसभा

संसद् के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इसके २५६ सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाजसेवा के क्षेत्र के ख्याति-प्राप्त बारह व्यक्तियों को मनोनीत करता है। शेष सदस्य राज्यों और केन्द्र-शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

राज्यसभा की विशेषता यह है कि यह स्थायी सदन है। इसके दो-तिहाई सदस्य हर दो साल बाद हट जाते हैं। इनकी जगह नये सदस्य चुन लिये जाते हैं।

राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव-विधि द्वारा चुने जाते हैं। ये मतदाताओं द्वारा सीधे न चुने जाकर राज्य विधानमण्डल के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।

राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए :

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) उसकी उम्र तीस वर्ष से कम न हो।

(ग) उसमें वे सब योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद् निश्चित करे।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सभापति अपना निर्णायक मत ही दे सकता है।

राज्यसभा के सभापति को सहयोग देने के लिए राज्यसभा के सदस्यों में

से एक उपसभापति चुना जाता है। यह सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

राज्यसभा के अधिकार

वित्त-विधेयक को छोड़कर बाकी सब प्रकार के विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदन उसे पारित न कर दें।

दोनों सदनों के बीच मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऐसी संयुक्त बैठक में निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा।

राज्यसभा प्रस्तावों, प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों तथा संकल्पों और बहसों द्वारा सरकार से पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती है।

लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त-विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उसे अपनी सिफारिशों के साथ चौदह दिनों में ही वापस भेज देती है। लोकसभा ऐसी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

संसद् सदस्यों के विशेषाधिकार

संसद् के सदस्यों पर सदन में अथवा इसकी किसी समिति में उनके द्वारा किये गए किसी भाषण अथवा मत के सम्बन्ध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

लोकसभा का महत्त्व

यद्यपि केन्द्र में विधायिका के दो सदन हैं तथापि संविधान में कुछ मामलों में लोकसभा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। मंत्रिमण्डल भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। वित्तीय मामलों में तो सारे अधिकार लोकसभा के पास ही हैं।

लोकसभा किसी भी अनुदान को स्वीकार, अस्वीकार अथवा उसमें कमी कर सकती है। अनुदान सम्बन्धी मांगें तथा वित्त-विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

संघीय क्षेत्रों का प्रशासन

देश के जो क्षेत्र संघ सरकार के अधीन हैं, वहां की शासन-व्यवस्था राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो संघीय क्षेत्र की सीमा वाले राज्य के राज्यपाल को संघीय क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। संघीय क्षेत्र का प्रशासन चलाने में राज्यपाल राज्य के मंत्रिमण्डल से स्वतन्त्र रहकर अपना कार्य करेगा।

संसद् चाहे तो क़ानून बनाकर किसी संघीय क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकती है या वहां की शासन-व्यवस्था चलाने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था कर सकती है।

संघीय क्षेत्रों की सूची अन्त में दी गई है।

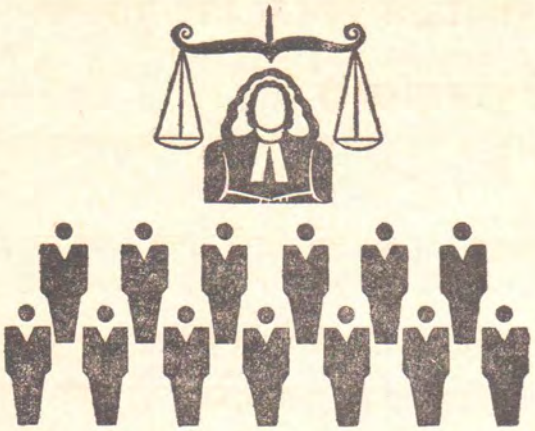

न्यायपालिका : सर्वोच्च न्यायालय

प्रजातंत्रात्मक शासन-प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका का बड़ा महत्त्व है। यह जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है। न्यायपालिका संविधान की भी संरक्षिका होती है। न्यायपालिका द्वारा की गई संविधान की व्याख्या ही प्रामाणिक मानी जाती है।

भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सबसे ऊंचा है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक-से-अधिक तेरह न्यायाधीश होते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना आवश्यक है। परन्तु यह राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वह किन-किन से परामर्श करे। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है।

न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) कम-से-कम पांच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो ।

(ग) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट रह चुका हो ।

न्यायाधीश पैंसठ वर्ष की अवस्था तक कार्य कर सकता है । एक बार न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हो जाने के बाद उसे तभी हटाया जा सकता है, जब उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार का दोष या पागलपन का रोग सिद्ध हो जाए ।

यदि संसद् का प्रत्येक सदन किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है ।

सर्वोच्च न्यायालय से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत या किसी भी प्राधिकारी के सम्मुख कार्य नहीं कर सकता ।

मुख्य न्यायाधीश को पांच हज़ार रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को चार हज़ार रुपये मासिक तथा निःशुल्क निवास मिलता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय भारतभर के अपने अधीन न्यायालयों पर अधिकार रखता है । इसके बनाये हुए नियम सभी न्यायालयों को मानने होते हैं ।

यह केन्द्र और राज्यों के बीच के तथा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच के विवादों को निपटाता है ।

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है ।

संविधान की व्याख्या का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय करता है । सर्वोच्च

न्यायालय की व्याख्या निर्णायक मानी जाती है ।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जाती है ।

जब राष्ट्रपति किसी समस्या के बारे में सलाह मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है ।

सर्वोच्च न्यायालय भारत की एकात्मकता का प्रतीक है । यह नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है । यह संविधान का रक्षक और व्याख्याता है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बहुत स्वतन्त्रता और अधिकार मिले हुए हैं । यह प्रजातन्त्र का प्रहरी है ।

राज्य

कार्यपालिका

राज्यपाल

भारतीय संघ के राज्यों का शासनतंत्र भी केन्द्र से मिलता-जुलता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य-सूची में दिए गए सभी विषयों पर उसका अधिकार होता है।

राज्यपाल अपनी कार्यपालिका-शक्ति का उपयोग अपने आप या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से, पांच वर्ष के लिए करता है।

राज्यपाल बनाए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए :

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उसकी अवस्था पैंतीस वर्ष से कम न हो।

राज्यपाल संसद् या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नहीं होगा। यदि वह नियुक्ति के अवसर पर संसद् या राज्य विधानमण्डल का सदस्य हुआ तो उसकी सदस्यता नियुक्ति के दिन से समाप्त हो जाएगी और वह स्थान खाली समझा जाएगा।

राज्यपाल को ५,५०० रुपये मासिक वेतन तथा निःशुल्क सरकारी निवास मिलता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त

होते हैं।

राज्यपाल राज्य का केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का सारा काम उसी के नाम से किया जाता है। उसके अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री करते हैं।

राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

वह राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) को भी नियुक्त करता है।

राज्यपाल को कुछ मामलों में दण्ड को क्षमा करने, दण्डादेशों को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के सदन अथवा सदनों की बैठक बुलाता और स्थगित करता है। वह विधान-सभा को भंग कर सकता है। जब राज्य का कार्य संविधान के अनुसार न चल रहा हो तो वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है। वह विधानमण्डल में पारित प्रत्येक विधेयक को स्वीकृति देता है। वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी भी विधेयक को रोक सकता है। वह किसी भी विधेयक को विधानमण्डल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वह वर्षारंभ में विधानमण्डल के किसी सदन या दोनों सदनों के सामने अभिभाषण कर सकता है।

जिन दिनों विधानमण्डल की बैठक न हो रही हो, वह अध्यादेश जारी कर सकता है। उसकी सिफ़ारिश के बिना कोई भी वित्त-विधेयक अथवा वित्त-सम्बन्धी धाराओं से युक्त विधेयक विधान-सभा में न तो प्रस्तुत किया जा सकता है और न अनुदान की मांग रखी जा सकती है।

राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। इसके अतिरिक्त प्रशासन तथा विधान सम्बन्धी विषयों में राज्यपाल जो जानकारी चाहे, वह भी मुख्यमंत्री को देनी होगी। राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् का ध्यान किसी भी महत्त्वपूर्ण विषय की ओर दिला सकता है।

राज्यपाल उच्च न्यायालय के जजों के नामों का सुझाव देता है।

कुछ राज्यों के राज्यपालों को अपने राज्यों में कुछ विशेष काम करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को नियुक्त करता है।

मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है।

मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का मुखिया होता है। वह मंत्रिपरिषद् की बैठकों का सभापतित्व करता है।

वह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है।

मुख्यमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है।

मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच सम्बन्ध-सूत्र का काम करता है।

मंत्री विधान-सभा के सदस्य होते हैं और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से विधान-सभा के सामने उत्तरदायी होते हैं।

राज्य विधानमण्डल

कुछ राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं—विधान-सभा और विधान-परिषद्। कुछ में केवल विधान-सभा है।

विधान-सभा

सामान्यतया राज्य विधान-सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक ५०० और कम-से-कम ६० सदस्य होते हैं। मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इन सदस्यों का चुनाव करते हैं।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित हैं।

सदस्य की योग्यता

(क) वह भारत का नागरिक हो।

(ख) उम्र पचीस वर्ष से कम न हो।

(ग) किसी वेतन वाले सरकारी पद पर न हो।

राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है और संकटकाल में उसका कार्यकाल एक वर्ष तक बढ़ा भी सकता है। परन्तु संकटकाल समाप्त होने के बाद इसका कार्यकाल छह मास से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

विधान-सभा की अध्यक्षता करने के लिए सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। ये विधान-सभा की कार्यवाही चलाते हैं। विधान-सभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण अध्यक्ष करता है।

विधान-सभा का अधिकार

विधान-सभा राज्य-सूची में आने वाले विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बनाती है। वह समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर भी क़ानून बना सकती है परन्तु वह क़ानून संसद् द्वारा बनाये गए किसी क़ानून का विरोधी नहीं होना चाहिए। यदि दोनों क़ानूनों में विरोध हुआ तो संसद् का क़ानून ही मान्य होगा।

विधान-सभा अविश्वास-प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद् को हटा सकती है। मंत्रिपरिषद् विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है।

वित्त-विधेयक केवल विधान-सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।

विधान-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता होते हैं।

मंत्रिपरिषद् के वेतन और भत्ते का निर्धारण विधान-सभा ही करती है।

विधान-परिषद्

राज्य विधान-परिषद् में कम-से-कम चालीस और अधिक-से-अधिक राज्य विधान-सभा की सदस्य-संख्या के दो-तिहाई सदस्य होने चाहिए।

इसके एक-तिहाई सदस्य स्थानीय संस्थाओं—नगरपालिकाओं, जिला-परिषदों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं, जिन्हें संसद् निर्धारित करे, के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

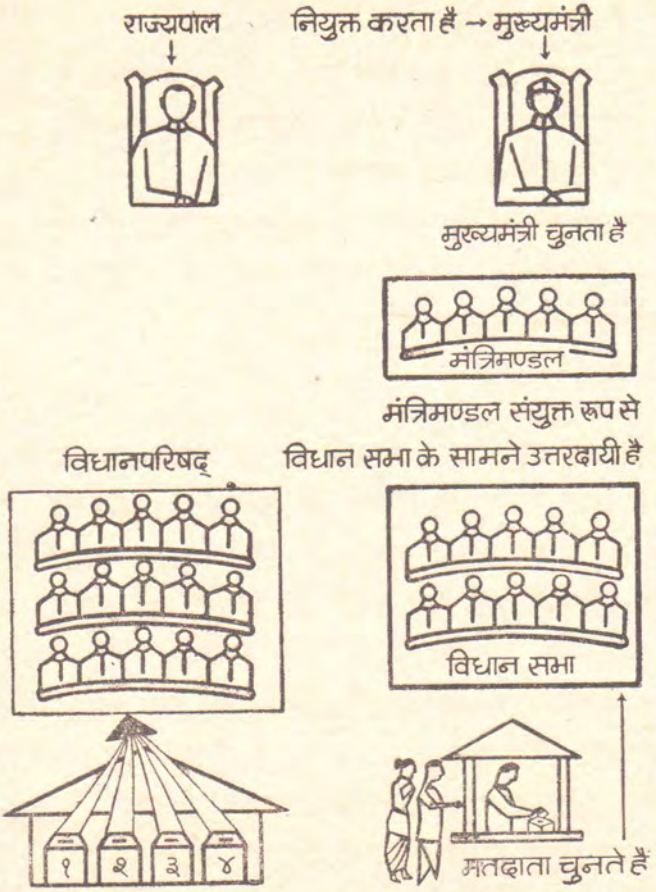

राज्य विधान मण्डल

इसके सदस्यों का बारहवां भाग विश्व-विद्यालय के ऐसे स्नातकों द्वारा अपने में से चुना जाता है, जिन्हें स्नातक बने तीन वर्ष हो चुके हों।

इसके सदस्यों का बारहवां भाग उन अध्यापकों द्वारा अपने में से चुना जाता है, जिन्हें पढ़ाते हुए तीन वर्ष हो चुके हों। ये अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नीचे के स्तर के नहीं होने चाहिए।

इसके एक-तिहाई सदस्य राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं; जो विधान-सभा के सदस्य न हों।

शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य साहित्य,

विज्ञान, कला, समाजसेवा, सहकारिता आदि के क्षेत्रों से लिये जाते हैं।

राज्य विधान-परिषद् स्थायी होती है और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं।

इसका सदस्य भारत का नागरिक और तीस वर्ष से कम अवस्था का नहीं होना चाहिए।

भारत के राज्यों की सूची पुस्तक के अन्त में दी गई है।

उच्च न्यायालय

भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। किन्तु संसद् चाहे तो एक से अधिक राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्र के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। अधिक कार्य को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश तथा कार्यकारी न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

न्यायाधीश बासठ वर्ष की अवस्था में अवकाश ग्रहण करते हैं।

भारत का कोई भी नागरिक, जो दस वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर

रह चुका हो अथवा दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता (एडवोकेट) रह चुका हो, न्यायाधीश बन सकता है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ४००० रुपये मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को ३५०० रुपये मासिक वेतन मिलता है।

उच्च न्यायालय के अधिकार

उच्च न्यायालय अपने नीचे की अदालतों के विरुद्ध अपीलें सुनता है।

वह अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों के कार्य की देख-भाल करता है।

वह अपने नीचे के न्यायालयों द्वारा भेजे गए अभियोगों का निर्णय करता है।

उसे मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में तथा अन्य उद्देश्यों के लिए लेख (रिट) जारी करने का अधिकार है। वह संविधान की व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित मामलों को अपने नीचे के न्यायालयों से अपने पास ले सकता है।

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानान्तरण उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करता है।

जिला न्यायाधीशों के अलावा छोटी अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल राज्य के लोक-सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह से करता है।

जिला न्यायाधीश के पद से नीचे की न्यायिक सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा छुट्टी आदि का निर्णय उच्च न्यायालय ही करता है।

स्थानीय स्वायत शासन

स्थानीय स्वायत्त शासन के दो रूप हैं :

१. नगरों का स्वायत्त शासन और

२. ग्रामों का स्वायत्त शासन ।

स्थानीय स्वायत्त शासन अपने क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य, औषधालय, सफाई, बीमारियों की रोक-थाम, प्राथमिक शिक्षा, पुस्तकालय, पानी, प्रकाश, सड़कें और पटरियां बनवाना, उद्यान-वाटिका लगाना, आग बुझाना इत्यादि कार्य करता है । मकानों के नक्शे पास करना भी इसी का कार्य है ।

नगरों में यह विभिन्न नामों से कार्य करता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में यह नगर-निगम कहलाता है । कई नगरों में नगर-पालिका कहलाता है ।

नगर-निगम और नगरपालिका—दोनों के सदस्य मतदान द्वारा चुने जाते हैं ।

इन दोनों संस्थाओं के नियम-कानूनों में थोड़ा-बहुत अन्तर होता है ।

नगर-निगम और नगरपालिका की आय के स्रोत चुंगी, गृहकर आदि हैं।

ग्रामों में इसका नाम 'ग्राम-पंचायत' है । ग्राम-पंचायत का गठन भी चुनाव द्वारा होता है । ग्राम-पंचायत के मुखिया को 'सरपंच' कहते हैं । अपने क्षेत्र में जन-स्वास्थ्य, सफाई, प्राथमिक शिक्षा, जलपूर्ति, खेती-बड़ी, जन्म और मृत्यु का ब्योरा, ग्रामोद्योग, गोचर भूमि, सड़क, तालाब, कुएं, ग्राम के परिवारों, पशुओं, खेती आदिका ब्योरा रखना तथा छोटे-छोटे झगड़ों का निपटारा करना—

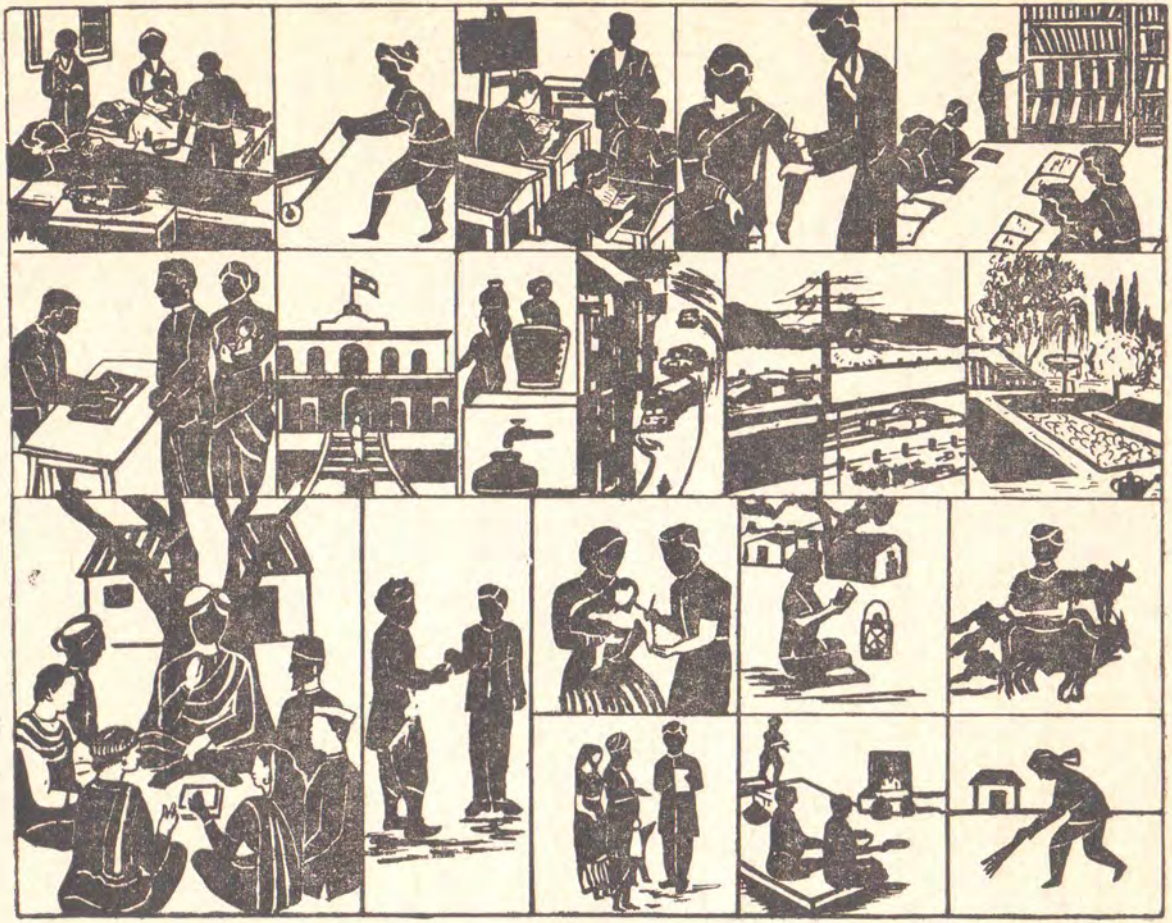

स्थानीय स्वायत्त शासनके कार्य

ये ग्राम-पंचायत के काम हैं।

अनेक राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति के लिए जिला-परिषदों या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जिले में एक जिला-परिषद् है। जिला-परिषद् राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है।

जिलेभर में शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, प्रकाश, सफाई, बीमारियों को रोक-थाम, कृषि-मेले आदि की व्यवस्था जिला-परिषद् करती है।

अनेक राज्यों में ग्राम-पंचायत और जिला-परिषद् के बीच ब्लॉक-समितियां बनाई गई हैं। जिले को कई ब्लॉकों में बाँट दिया गया है। पंचायतें ब्लॉक-समिति के सदस्यों को चुनती हैं और ब्लॉक-समितियों के सदस्य जिला-परिषद् के सदस्यों को।

हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ग्रामों में रहती है। ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं को सुलझाने में रुचि ले और आगे बढ़कर काम करे, सफल प्रजातंत्र के लिए यह आवश्यक है।

सार्वजनिक सेवाएं

प्रशासन की सफलता योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर निर्भर करती है। अपने-अपने क्षेत्र के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए योग्य और ईमानदार कर्मचारी ही महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हों, इस कार्य के लिए **लोक-सेवा आयोग** नामक संस्था बनायी गई है। संघ में 'संघ लोक-सेवा आयोग' और राज्यों में 'राज्य लोक-सेवा आयोग' स्थापित किये गए हैं। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक-सेवा आयोग भी हो सकता है।

लोक-सेवा आयोग संघ अथवा राज्य के लिए लोगों को नियुक्त करने के लिए उनकी परीक्षाएं लेता है और साक्षात्कार करता है। लोक-सेवा आयोग बड़े-छोटे सभी पदों पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्तियों को छांटता है।

लोक-सेवा आयोग में आधे सदस्य वे लोग होते हैं, जो कम-से-कम दस वर्ष तक उच्च अधिकारी पदों पर कार्य कर चुके हों।

लोक-सेवा आयोग के सदस्य छह वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

संघ लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्यों के राज्यपालों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

महालेखा परीक्षक

राष्ट्रपति वित्त-सम्बन्धी अपव्यय और अनियमितताओं को रोकने के लिए महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के वित्त तथा लेखों पर पूरा-पूरा नियंत्रण करता है।

महालेखा परीक्षक प्रति वर्ष केन्द्रीय आय-व्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को तथा राज्यों के आय-व्यय के सम्बन्ध में राज्यपालों के पास अपनी रिपोर्टें भेजता है। ये रिपोर्टें केन्द्र की संसद् में और राज्य के विधानमण्डल के सामने विचारार्थ रखी जाती हैं।

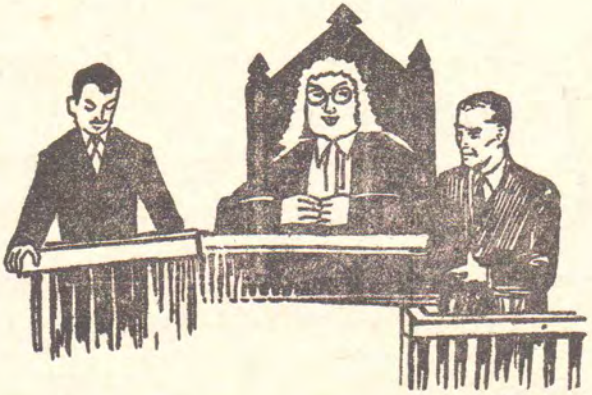

महान्यायवादी

संघ सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति 'महान्याय-वादी' की नियुक्ति करता है। वह सरकार की ओर से भारत के सभी न्यायालयों में उपस्थित हो सकता है। यह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला होता है। किसी क़ानूनी उलझन का स्पष्टीकरण करने के लिए इसे संसद् के सामने भी बुलाया जा सकता है।

चुनाव आयोग

हमारे प्रजातंत्र का आधार है वयस्क मताधिकार। मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक तथा गोपनीय ढंग से कर सकें तथा चुनाव निष्पक्ष हो; इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग करता है। चुनाव-क्षेत्रों का विभाजन, मतदान-केन्द्रों की व्यवस्था तथा मतदान की तिथियां और समय का निर्धारण चुनाव-आयोग करता है। वह मतदाता-सूचियां भी तैयार करता है। चुनाव आयोग मतदान के सम्बन्ध में नियम आदि भी बनाता है।

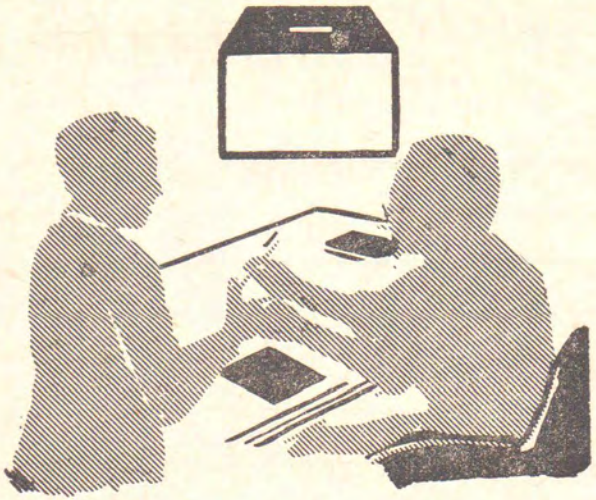

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।

कानून कैसे बनते हैं ?

संसद् का कोई भी सदस्य संसद् में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। वित्त-सम्बन्धी विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी विधेयक तीन वाचनों में गुज़रने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर क़ानून बन जाता है। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य को विधेयक का लिखित प्रारूप संसद् सचिवालय को देना होता है। अध्यक्ष उसे संसद् के सामने प्रस्तुत करने का दिन निश्चित करता है। संसद् के सामने प्रस्तुत करने पर यदि वह बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया जाता है। इतनी प्रक्रिया को **प्रथम वाचन** कहते हैं।

दूसरे वाचन में विधेयक का धाराओं के अनुसार वाचन होता है। यदि संसद् चाहे तो विधेयक को प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेज सकती है। प्रवर समिति सदन के सदस्यों से बनी होती है। प्रवर समिति विधेयक पर सूक्ष्मता से विचार करती है।

तीसरे वाचन में प्रवर समिति विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के जैसा उचित समझती है, सदन के पास भेज देती है। तब सदन उस विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार करता है। अब इस विधेयक पर मतदान होता है।

एक सदन में इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक तीनों वाचनों से गुजरता है।

यदि विधेयक दोनों सदनों में पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास

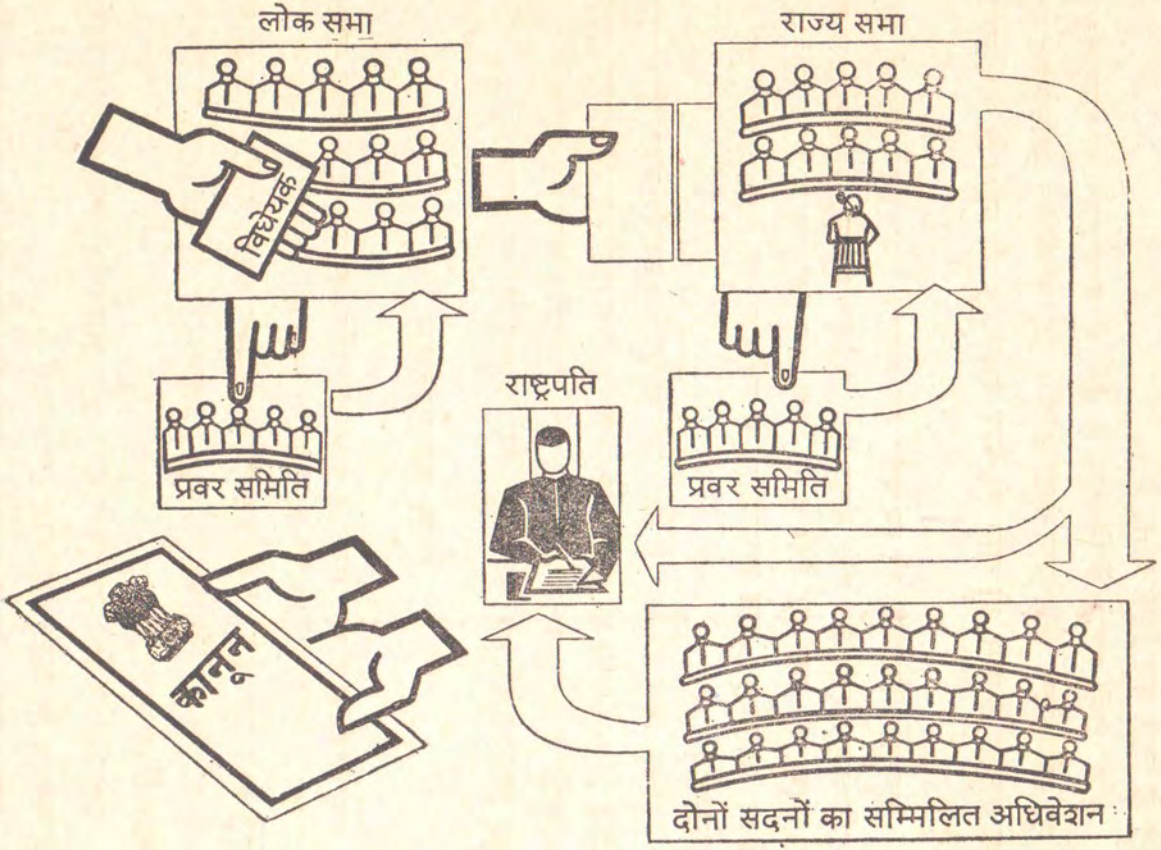
लोक सभा
राज्य सभा
विधेयक
प्रवर समिति
राष्ट्रपति
प्रवर समिति
कानून
दोनों सदनों का सम्मिलित अधिवेशन

क़ानून कैसे बनते हैं ?

स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है ।

यदि दोनों सदनों में विधेयक के बारे में मतभेद हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का सम्मिलित अधिवेशन बुलाता है । इस सम्मिलित अधिवेशन में यदि विधेयक बहुमत से पास हो जाए तो फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ।

राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकता है या अपने सुझावों के साथ वापस भी भेज सकता है । यदि संसद् उस विधेयक को मूल या संशोधित रूप में दोबारा बहुमत से पास कर देती है तो फिर उसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है । तब राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है और वह कानून बन जाता है ।

राज्य विधानमण्डल में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है । राज्य में यदि केवल विधान-सभा ही हो तो विधेयक उसमें पास होकर सीधा राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है । यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति के लिए आये हुए विधेयक को छह मास तक अपने पास रोके रख सकता है ।

सत्ता का सन्तुलन

भारतीय संघ का सर्वोच्च पद 'राष्ट्रपति' का पद है । किन्तु राष्ट्रपति सामान्य रूप में अपने अधिकारों का उपयोग स्वयं नहीं करता है । वह लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है । प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ही शासन को चलाता है ।

यह ठीक है कि राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री तथा दूसरे मंत्रियों को हटा भी सकता है, परन्तु यह काम सरल नहीं है ।

कारण यह है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल सहित लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । यदि लोकसभा को मंत्रिमण्डल पसन्द हो और राष्ट्रपति मनमाने ढंग से मंत्रिमण्डल को हटाना चाहे तो संसद् महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति

को गद्दी से उतार सकती है। वैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भी भंग कर सकता है पर उसे अपने पद पर बने रहने के लिए भी संसद् का समर्थन चाहिए। इस तरह न तो राष्ट्रपति मनमानी कर सकता है और न प्रधानमंत्री।

संसद् यदि कोई ऐसा क़ानून बनाए, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस क़ानून को रद्द कर सकता है। संविधान या संविधान की धाराओं का विवेचन और व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुमत से किया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यद्यपि राष्ट्रपति करता है, किन्तु उनके सेवाकाल को या वेतन-भत्ते आदि सुविधाओं को राष्ट्रपति भी कम नहीं कर सकता है।

सच तो यह है कि राष्ट्र की आधारभूत शक्ति तो इस महान् प्रजातांत्रिक देश के करोड़ों मतदाता हैं। इस जन-मत और जन-बल की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता।

संसद् चाहे तो अपनी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित अभिमत राष्ट्रपति को भेज सकती है। तब राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है।

इस तरह शक्ति को ऐसे ढंग से बांटा गया है कि विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका कोई भी अंग मनमानी नहीं कर सकता।

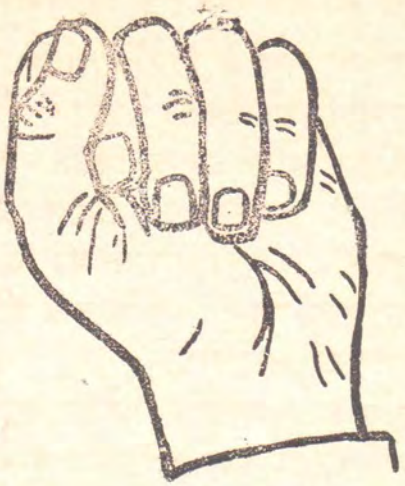

भारत एक है !

भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र वाला देश है। इसके संविधान में नागरिकों के जिन मौलिक अधिकारों की घोषणा है, ऐसे मौलिक अधिकार संसार के किसी भी देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं हैं।

भारत एक प्रभुत्व-सम्पन्न राष्ट्र है। यद्यपि ऊपर से इसका ढांचा संघात्मक प्रतीत होता है, पर वास्तव में यह एकात्म है।

आपने वट वृक्ष अवश्य देखा होगा। उनकी बड़ी शाखाओं में जड़ें फूट-कर धरती में जाकर गड़ जाती हैं और लम्बी-भारी शाखा को अपने ऊपर थाम लेती हैं। ऊपरी दृष्टि से देखने पर लगता है कि कई वट वृक्ष हैं; पर वास्तव में वट वृक्ष एक ही होता है। इसी प्रकार भारत का राज्यों में विभाजन प्रशासन की सुविधा के लिए किया गया है। यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य अपने को भारत से अलग नहीं कर सकता है। भारत राष्ट्र अखण्ड है। संकटकाल में तो यह एकात्म रूप ले ही लेता है। सामान्य रूप से जैसे कछुआ अपने विभिन्न

अंगों, टांगों और गर्दन को खोल से बाहर निकालकर उनसे काम लेता है, किन्तु संकट आने पर उन्हें तुरन्त अपने कठोर खोल में समेट लेता है।

भारत की एकात्मकता निम्न बातों से स्पष्ट है :

१. भारत में इकहरी नागरिकता है।

२. समूचे भारत में एक समान क़ानून लागू होते हैं।

३. इसके सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं।

हमारे देश का संविधान लचीला और व्यवहार्य है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। पर संशोधन करना इतना सरल भी नहीं है।

अब तक संविधान में सैंतालीस संशोधन हो चुके हैं।

कोई भी संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि संविधान को कार्यान्वित करने वाले बुरे हों तो संविधान व्यर्थ हो जाएगा। संविधान की सफलता राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र, योग्यता, सद्भावना पर निर्भर करती है।

देश के विभिन्न राजनीतिक दलों की सिद्धान्त-निष्ठा, न्यायप्रियता तथा लोक-कल्याण की भावना पर ही देश की उन्नति निर्भर करती है।

जिस देश के नागरिक देश के हित को अन्य सब हितों से अधिक मानते हैं और मातृभूमि को माता के ही समान वन्दनीय और रक्षणीय मानते हैं, वही देश संसार में अपने यश की पताका फहराता है। देश के मान में अपना मान समझकर ही उन्नति हो सकती है।

कर्तव्यनिष्ठ नागरिक सदा जागरूक रहते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन बड़ी तत्परता और निष्ठा से करते हैं। कर्तव्यों का सुचारु रूप से पालन करने के लिए उन्हें जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका उपभोग वे देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।

जिस देश के नागरिक अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं किन्तु कर्तव्यों का पालन नहीं करते, वह देश कभी भी गौरवशाली नहीं बन सकता। हमारे देश के दो महान् पवित्र ग्रन्थों—रामायण और महाभारत की कथा पर ध्यान

दें तो स्पष्ट प्रतीत होता है, कैकेयी को छोड़कर रामायण के सारे पात्र अपने-अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर, किन्तु अधिकारों को प्राप्त करने में उदासीन दिखायी देते हैं। यही कारण है, यह कर्तव्य-पालन की महिमा ही है कि उस समय देश में राम-राज्य की स्थापना हो सकी। राम-राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी।

दूसरी ओर महाभारत में सभी अपने-अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसके कारण सारा देश गृह-युद्ध की आग में जलकर भस्म हो गया।

देश के जागरूक नागरिक देश की सरकार को पथ-भ्रष्ट होने और मन-मानी करने से रोकने में समर्थ होते हैं।

नागरिकों का व्यक्तिगत चरित्र और देशभक्ति की भावना ऐसी प्रबल होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे देश को हानि हो या देश कमजोर हो।

स्वामी रामतीर्थ ने अपने देश-प्रेम को बड़े सुन्दर रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं :

मैं सदेह भारत हूं।
सारा भारत मेरा शरीर है।
रासकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर है।
मेरे बालों से गंगा बह रही है।
विन्ध्याचल मेरा कमरबन्द है।
मैं सम्पूर्ण भारत हूं।
पूर्व और पश्चिम मेरी दो भुजाएं हैं,
जिनको फैलाकर मैं अपने देशवासियों को गले लगाता हूं।
हिन्दुस्तान मेरे शरीर का ढांचा है
और मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है
चलता हूं तो अनुभव करता हूं
कि सारा हिन्दुस्तान चल रहा है।
जब मैं बोलता हूं तो सारा हिन्दुस्तान बोलता है।

भारत के राज्य और संघीय क्षेत्र

राज्य

- ☐ आन्ध्र प्रदेश
- ☐ असम
- ☐ बिहार
- ☐ गुजरात
- ☐ महाराष्ट्र
- ☐ कर्नाटक
- ☐ उड़ीसा
- ☐ पंजाब
- ☐ राजस्थान
- ☐ उत्तर प्रदेश
- ☐ पश्चिम बंगाल
- ☐ हरियाणा
- ☐ हिमाचल प्रदेश
- ☐ त्रिपुरा
- ☐ मेघालय
- ☐ मणिपुर
- ☐ जम्मू-कश्मीर
- ☐ केरल
- ☐ मध्य प्रदेश
- ☐ तमिलनाडु
- ☐ नागालैंड
- ☐ सिक्किम

संघीय क्षेत्र

- ☐ अरुणाचल प्रदेश
- ☐ दिल्ली
- ☐ पांडिचेरी
- ☐ चण्डीगढ़
- ☐ गोआ, दमन, दीव
- ☐ लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह
- ☐ अण्डमान और निकोबार द्वीप
- ☐ दादर और नगर हवेली
- ☐ मिजोरम

राष्ट्र-गान

जन गण मन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता,
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जयगाथा ।
जन गण मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे !